(306) प्र.क्रमांक R. 5216-दो/17 (182)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा, (म0प्र0)

Rs. 30/-

5216-दो/17

छोटकामन कुम्हार तनय गलम कुम्हार, नि0 ग्राम डंगरहट, तह0 रामपुर बाघेलान, जिला- सतना (म0प्र0) ----- आवेदक/निगराकार

बनाम

(1) रामसमुझ पाठक तनय गोविन्द प्रसाद, सा0 डंगरहट, तहसील- रामपुर बाघेलान, जिला- सतना (म0प्र0)

(2) शासन म0प्र0 जरिए राजस्व निरीक्षक वृत्त एवं तहसील - रामपुर बाघेलान, जिला- सतना (म0प्र0) ----अनावेदक/गैरनिगराकारगण

निगरानी विरूद्ध आदेश राजस्व निरीक्षक वृत्त एवं तहसील- रामपुर बाघेलान, जिला-सतना जरिए प्रकरण क्र0- 18ए/12/15-16, आदेश दिनांक 05-02-17.

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 1959 ई0 ।

श्री मनोज कुमार द्विवेदी द्वारा पेश 24.5.17

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित हैं:-

(1) यह कि राजस्व निरीक्षक वृत्त एवं तहसील रामपुर बाघेलान, जिला सतना (म0प्र0) का आदेश बावत् पुष्टिकरण सीमांकन विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है।

(2) यह कि निगरानीकर्ता ने राजस्व निरीक्षक महोदय के समक्ष पटवारी हल्का डंगरहट द्वारा दिनांक 11-12-16 को किए गए कथित सीमांकन पर आपत्ति प्रस्तुत करते हुए आक्षेप किया गया था कि आवेदक/आपत्तिकर्ता जो कि आ0 नं. 356 का सरहद्दी भूमिस्वामी है तथा सीमांकन पूर्व आपत्तिकर्ता को कोई सूचना नहीं दी गयी थी तथा आपत्तिकर्ता की अनुपस्थिति में सीमांकन किया गया है। आपत्तिकर्ता द्वारा आपत्ति पत्र में यह भी उल्लेख किया गया था कि आपत्तिकर्ता की आ0 ख0 नं0 355/2 ख, का 10 फिट

नि.द्वारा छोटकामन

(182)

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R. 5216-II/17 जिला सतना

छोटेलाल कुम्हार विरूद्ध रामसमुझ पाठक

1	2	3
16-1-19-	1. आवेदक की ओर से श्री मनोज कुमार अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, वृत्त रामपुरबघे. तहसील रामपुर बघेलान के प्रकरण क्रमांक 18/अ-12/15-16 में पारित आदेश दिनांक 08.02.17 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संधोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर सतना के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 25.03.19 को कलेक्टर सतना के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	

किया गया था कि आपत्तिकर्ता की आT0 क्र0 नं0 355/2 ख, का 10 फिट